उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-97/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी.सी.-302-उ0प्र0अधि0-1-2017-

आदेश-(371)- 2026

लखनऊ: दिनांकः 28-02-2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्द्वारा दिनांक 30 जून, 2026 को उस दिनांक के रूप में अधिसूचित करते हैं जिस दिनांक तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन समस्त मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबंध में समस्त अपीलें उस दिनांक से, जिस दिनांक को ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

आज्ञा से,

Digitally signed by
KAMINI CHAUHAN RATAN
Date: 28-02-2026
18:57:27

(कामिनी चौहान रतन)

प्रमुख सचिव।